उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, गुमला।
(मनरेगा कोषांग)
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रांची के पत्रांक (N)1720 दिनांक 18.06.2018 एवं पत्रांक (N)398 दिनांक 28.04.2020 के आलोक में मनरेगा अन्तर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत् बागवानी कार्य हेतु गुमला जिला के सभी प्रखण्डों/पंचायतों में बिरसा हरित ग्राम योजना में प्रयुक्त होने वाले खाद, कीटनाशक, फफुन्दनाशक इत्यादि विभिन्न सामग्रियों की खरीदारी एवं उसे कार्य स्थल तक ससमय पहुँचाने हेतु सुयोग्य आपूर्तिकर्ताओं/प्रतिष्ठानों से अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया जाता है:–

क्र0सं0	बिरसा हरित ग्राम योजना हेतु आवश्यक सामग्रियों की सूची:–
1	Pyrethrum (Biflex TC) or equivalent (Anti-termite) (in litre)
2	Vermi-Compost (in kg)
3	OR Farm Yard manure (in kg)
4	Trichoderma xp. (in kg)
5	Bone meal/SSP (in kg)
6	Karanj/Neem oil cake (in kg)
7	Dolomite (in kg)
8	Furadon 3 G/Fenvalrate-D or equivalent (in kg)
9	Chemical Fertilizer (NPK:Sufala/10:26:26) (in kg)
10	Chemical Fertilizer (Urea) (in kg)
11	Fungicides (in kg) (Mancozed+Carbendazim)
12	Insecticides (in Litre) (Chlorpyriphos/Quinalphos or equivalent)
13	Fungicides (in kg) (Blue Copper/CuOCl or equivalent)
14	Micronutrient (Totocare, Multiplex) or equivalent (in Litre)
15	Polythene for jalkund 250 µ (Micron) UV protected black polythene sheet

निविदा की शर्त निम्न प्रकार है:–

1. निविदादाता को निविदा दो भागों में अलग–अलग (मुहर बन्द लिफाफा) में देना अनिवार्य होगा।
   (क) तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा
2. तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
3. निविदा के साथ अधिकृत आपूर्तिकर्ता/निर्माता होने का प्रमाण–पत्र तथा गुणवता टेस्ट रिर्पोट का प्रमाण–पत्र अन्य कागजातों यथा–आयकर रिटर्न (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20), GST निबंधन, Sale Tax Clearance, शपथ पत्र, प्राधिकृत पत्र, पैन कार्ड का छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. कार्य स्थल तक सामग्री आपूर्ति करने हेतु सभी प्रकार के कर परिवहन एवं हथालन व्यय सहित दर का उल्लेख करना अनिवार्य है।
5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा दिये गये आपूर्ति आदेश के आलोक में आपूर्ति किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता अपनी पक्की रसीद के साथ संबंधित लाभुकों से एक संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त कर पंचायत में जमा करेंगे।

6. सामग्री आपूर्ति में किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए आपूर्तिकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं ऐसी स्थिति में भुगतान देय नहीं होगा एवं उनके विरूद्ध विधिसमत् कार्रवाई की जाएगी।
7. निविदादाता को प्रतिभूति राशि के रूप में 25000.00 रूपये (पच्चीस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो **उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के पदनाम से** भुगतेय होगा।
8. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा दिये गये आपूर्ति आदेश की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निर्दिष्ट योजना स्थल पर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
9. निविदादाता को इस आशय का स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा कि उनके फर्म को किसी सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
10. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा एक से अधिक निविदादाताओं के बीच वितरण का अधिकार अधाहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

इच्छुक प्रतिष्ठान/निविदादाता द्वारा दिनांक 23.05.2020 के अपराह्न 1.00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में निविदा **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला** में जमा किया जाएगा। **लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में "बिरसा हरित ग्राम योजना हेतु सामग्री आपूर्ति" अंकित किया जाय।** प्राप्त निविदा को उसी दिन दिनांक 23.05.2020 को अपराह्न 2.00 बजे उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक गुमला की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष चयन हेतु कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जाएगा। सभी निविदादाता सामग्रियों के नमूना के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होंगे।

निविदा से संबधित पूर्ण जानकारी गुमला जिला के वेबसाईट http://gumla.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह0/-

उप विकास आयुक्त–सह
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गुमला।

ज्ञापांक 81(ii)/म0को0 गुमला, दिनांक 14.05.2020

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे झारखण्ड के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

प्रतिलिपि :– वेब मैनेजर, गुमला को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त निविदा को गुमला जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट किया जाय।

14/05/2020

उप विकास आयुक्त–सह
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गुमला।